की यह निर्धारित करने के उद्देश्य से जांच की जा रही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस विषय पर आगे क्या-क्या अनुदेश भेजना अपेक्षित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सामाजिक स्तर का प्रमाण पत्र जारी करने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उचित स्तर के राजस्व प्राधिकारियों के स्तर पर छानबीन, जांच शामिल है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के प्रधान तथा मुखिया और शहरी क्षेत्रों में वार्ड आयुक्तों को सुपुर्द नहीं किया जा सकता।

Non-official Directors in NMFDC

6711. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Non-official Directors have been nominated on the Board of National Minorities Finance Development Corporation;

(b) if so, how many Directors have been nominated and their names; and

(c) if not, whether Government propose to nominate a few non official Diectors on the Board, from members who have professional skills?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Yes, Sir.

(b) One, Shri Mohd. Hidayatullah Khan, former Speaker and former Cabiet Minister, Bihar.

(c) Does not arise in view of (a) above.

अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों संबंधी समिति

6712. **श्री महेश्वर सिंह**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में कुछ और क्षेत्रों को अनुसूचित जन-जाति क्षेत्रों तथा कुछ और जातियों को अनुसूचित जन जातियों के रूप में घोषित करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों, प्रस्तावों एवं सिफारिशों पर विचार करने हेतु समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामला कब से विचाराधीन है;

(ग) क्या समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की सूची में परिवर्तन अथवा संशोधन से संबंधित विभिन्न मामलों का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार समिति गठित की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कुछ और समुदायों को शामिल करने का मामला भी शामिल है। कुछ और इलाकों को अनुसूचित जन जाति क्षेत्र घोषित करने पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में 650 समुदायों को शामिल करने का प्रस्ताव समिति के विचाराधीन है। लोक-हित में प्रस्ताव और ब्यौरा उजागर नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) समिति से आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट 30 जून, 1995 तक प्रस्तुत करेगी।

Post-Matric Scholarship to students in Madhya Pradesh

6713. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) how many students of general, SC, ST and OBC categories were pro-